

भारत गणराज्य की सरकार और
संघीय नाइजीरिया गणराज्य की
सरकार के बीच सांस्कृतिक और
शैक्षिक करार ।

- - - - -

भारत गणराज्य की सरकार और संघीय नाइजीरिया
गणराज्य की सरकार § इसके बाद इन्हें "संविदाकारी पक्षकार"
कहा जाएगा §,

दोनों देशों के बीच विद्यमान पारस्परिक मैत्रीपूर्ण संबंधों
और सदभावना को सुदृढ़ करने तथा संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान
और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अपने-अपने सम्बन्धों को और विकसित
तथा प्रोत्साहित करने की इच्छा से,

निम्नलिखित रूप से सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद I

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के बीच संस्कृति, शिक्षा,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निम्नलिखित के माध्यम से
सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे ;

§ I § विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों, शिक्षकों, विशेषज्ञों,
तकनीशियनों, वैज्ञानिक अनुसंधान कर्ताओं तथा छात्रों का आदान-
प्रदान ; और

§ II § एक दूसरे के विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण
संस्थाओं, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, कारखानों
और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए छात्रों

और स्नातकों को छात्रवृत्ति अनुदान प्रदान करके ।

अनुच्छेद II

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने देश की उपयुक्त शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं में दूसरे सँविदाकारी पक्षकार की भाषा, संस्कृति और साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहित करने का आश्वासन देता है ।

अनुच्छेद III

सँविदाकारी पक्षकार, अपने-अपने संगीत तथा नाट्य दलों, कलाकारों, अभिनेताओं, संगीतज्ञों, लेखकों और पत्रकारों के लिए विनिमय कार्यक्रम आयोजित करके तथा एक दूसरे के देश में संगीत-गोष्ठियाँ, प्रदर्शनियाँ और व्याख्यान आयोजित करके, एक दूसरे की संस्कृति के सम्बन्ध में अपने-अपने लोगों की पारस्परिक जानकारी को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद IV

1. एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता के बारे में समझने और सीखने के प्रयोजन से सँविदाकारी पक्षकार, पुस्तक प्रदर्शनी, पत्रिकाओं, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय प्रकाशनों, मैगजीनों, समाचार-पत्रों, फोटोग्राफों, टेप रिकार्डों तथा अपने-अपने देशों के सामान्य विकास को सूचित करने वाले आंकड़ों के सम्बन्ध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे ।

2. सँविदाकारी पक्षकार, अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों, विशेषकर, इतिहास और भूगोल की पाठ्य-पुस्तकों में एक दूसरे के देश के सम्बन्ध में सही और अद्यतन तथ्यों को शामिल किया जाए ।

3. जन-संचार के क्षेत्र में सहयोग के प्रयोजन से सँविदाकारी पक्षकार, फिल्मों, प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन तथा चलचित्रकला सामग्री के आदान-प्रदान के लिए कार्यक्रम, आयोजित करने का वचन देते हैं ।

4. इसी प्रयोजन के लिए, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, सँविदाकारी पक्षकार अपने-अपने संग्रहालयों, पुस्तकालयों, अभिलेखागारों और अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं के सम्बन्ध में विचार-विनिमय तथा सूचना के आदान-प्रदान को सुकर बनाएंगे और पुरावशेषों, प्राकृतिक इतिहास और कला की सचित्र सामग्री के सम्बन्ध में सूचना का भी आदान-प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद V

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार, जहाँ तक संभव होगा, दूसरे पक्षकार के नागरिकों को वही शैक्षिक सुविधाएँ और स्तर प्रदान करेगा जो उसके अपने राष्ट्रियों को प्रदान किए जा रहे हैं ।

अनुच्छेद VI

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार अपने विश्वविद्यालयों और

अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में दूसरे सँविदाकारी पक्षकार के योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद VII

सँविदाकारी पक्षकार अपने-अपने देश में, विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए प्रदत्त विश्व-विद्यालय डिग्रियों, उपाधियों, डिप्लोमाओं और अन्य प्रमाण-पत्रों के मूल्यांकन के लिए अपेक्षित शर्तें निर्धारित करेंगे ताकि इस प्रकार की विश्वविद्यालय डिग्रियों, उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों की सम्मक्षता के सम्बन्ध में अलग करार सम्पन्न किया जा सके ।

अनुच्छेद VIII

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार पारस्परिक तकनीकी सहायता के प्रयोजन से दूसरे पक्षकार से ऐसे विशेषज्ञ प्रदान करने का अनुरोध कर सकता है जिनकी उसे आवश्यकता हो । इसमें प्रोफेसरों, लेक्चररों और अन्य शिक्षाविदों, चिकित्सा विशेषज्ञों का आदान-प्रदान किया जा सकता है तथा इस प्रकार का आदान-प्रदान पारस्परिक परामर्श के माध्यम से किया जा सकता है ।

अनुच्छेद IX

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार दूसरे सँविदाकारी पक्षकार को ऐसे शैक्षिक आँकड़े तथा सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा जिससे दूसरे सँविदाकारी पक्षकार के शैक्षिक विकास में लाभदायक योगदान मिल सके ।

अनुच्छेद X

संविदाकारी पक्षकार खेलों के विकास के हित में तथा दोनों देशों के बीच मैत्री-पूर्ण प्रतियोगिताएं आयोजित करने के उद्देश्य से भी एक दूसरे देश के खेल संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद XI

संविदाकारी पक्षकार, वर्तमान करार के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त रूप से सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदान-प्रदानों की ठोस प्रतिबद्धताओं की द्विवार्षिक योजनाएं राजनयिक माध्यमों से तैयार तथा समन्वित करेंगे, इस प्रयोजन के लिए बात-चीत संविदाकारी पक्षकारों के देशों में बारी-बारी से होगी ।

अनुच्छेद XII

संविदाकारी पक्षकार, एक दूसरे देश के जीवन, रचनात्मक कृतियों और संस्कृति की अपने-अपने लोगों को जानकारी कराने के लिए पर्यटन के महान महत्त्व को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों की यात्राओं को प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें कोई भी उचित सहायता प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद XIII

वर्तमान करार के कार्यान्वयन से सम्बन्धित वित्तीय मामले पारस्परिक आधार पर विनियमित होंगे ।

अनुच्छेद XIV

संविदाकारी पक्षकार इस करार की व्याख्या अथवा प्रयोज्यता से सम्बन्धित किसी भी विवाद को राजनयिक माध्यमों से निपटाने के सभी प्रयास करेंगे ।

अनुच्छेद XV

1. वर्तमान करार उन दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगा जिनमें यह उल्लेख किया गया हो कि यह संविदाकारी पक्षकारों की संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित कर दिया गया है और चार वर्ष तक वैध रहेगा ।

2. इस करार की व्यवस्थाएं, इसकी समाप्ति अथवा अवसान के बाद, इस करार के अन्तर्गत किए गए किसी भी समझौते अथवा व्यवस्था पर, लागू रहेंगी ।

3. उसके बाद इसकी वैधता मौन सहमति द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए तब तक स्वतः नवीकृत होती रहेगी जब तक कि एक संविदाकारी पक्षकार द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्षकार को इसे अवसित करने की छः महीने की लिखित सूचना न दे दी जाए ।

इसके साक्ष्य में संविदाकारी पक्षकारों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं

लागोस में सितम्बर, 1982 के 14 वें दिन चार मूल प्रतियों में, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक में दो-दो प्रतियों में, किया गया, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

संघीय नाइजीरिया गणराज्य
की सरकार की ओर से

शीला कौल

॥ शीला कौल ॥

शिक्षा और समाज कल्याण
मंत्रालयों में राज्य मंत्री

एस.ए. ओजेडेनजबे

॥ एस.ए. ओजेडेनजबे ॥

संघीय नाइजीरिया के समाज
विकास, युवक, खेल तथा संस्कृति
मंत्री

CULTURAL AND EDUCATIONAL AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

.....

The Government of the Republic of India and the Federal Government of Federal Republic of Nigeria (here-in-after referred to as "The Contracting Parties"),

DESIRING to strengthen the mutual ties of friendship and understanding existing between their two countries and of further promoting and developing their relations in the fields of Culture, Education, Science and Technology,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I

The Contracting Parties shall encourage co-operation in the fields of Culture, Education, Science and Technology between their two countries through:

(i) exchange of university professors, teachers, experts, technicians, scientific research workers and students, and

(ii) providing scholarship grants to students and graduates to study and train at each other's universities, institutions of higher learning, technical training institutions, laboratories, factories and other educational institutions.

ARTICLE II

Each Contracting Party, within its capacity, undertakes to promote studies of the languages, culture and literature of the other Contracting Party at appropriate educational and research institutions of its own country.

ARTICLE III

The Contracting Parties shall encourage mutual acquaintance of their nations with the culture of each other, by organising exchange programmes for their musical and theatrical groups, artists, actors, musicians, writers and journalists and by organising concerts, exhibitions and lectures in the territories of each other.

ARTICLE IV

1. For the purpose of understanding and learning about the culture and civilisation of each other, the Contracting Parties, shall organise programmes for the exchange and exhibition of books, periodicals, scientific and technological publications, magazines, newspapers, photographs and tape-recordings as well as information as to the statistics indicating the general development of their countries.

2. The Contracting Parties shall, to the best of their abilities, ensure that textbooks prescribed for their educational institutions, particularly those relating to History and Geography, should contain accurate and up-to-date facts about each other's country.

3. For the purpose of co-operation in the field of mass communication, the Contracting Parties, undertake to organise programmes for the exchange of films, press, radio and television as well as cinematographic materials.

4. For the same purpose as stated in the preceding paragraph, the Contracting Parties shall facilitate the exchange of views and information about their museums, libraries, archives, and other cultural institutions and also organise the exchange of information about materials illustrating antiquities,

natural history and art.

ARTICLE V

Each Contracting Party shall, as far as possible, accord to the citizens of the other, the same educational facilities and standards as are accorded to its own nationals.

ARTICLE VI

Each Contracting Party shall endeavour to grant scholarships to deserving students of the other Contracting Party in its universities and other institutions of higher learning.

ARTICLE VII

The Contracting Parties shall establish the requisite conditions for the evaluation of university degrees, titles, diplomas and other certificates granted in their countries for university, scientific, technical and cultural purposes with a view to concluding separate agreement on the equivalence of such university degrees, titles, diplomas and certificates.

ARTICLE VIII

For the purpose of mutual technical assistance, each Contracting Party may request the other to place at its disposal such experts as it may require. This may include exchange of professors, lecturers and other academicians, medical specialists and such exchanges may take place through mutual consultations.

ARTICLE IX

Each Contracting Party shall endeavour to make4

available to the other Contracting Party educational statistics and information materials that could make a useful contribution in the educational development of the other Contracting Party.

ARTICLE X

The Contracting Parties shall promote co-operation between sports organisations of both countries in the interest of developing sports and also with the aim of arranging friendly competitions between their countries.

ARTICLE XI

The Contracting Parties shall, for the implementation of the present Agreement, jointly elaborate and co-ordinate through diplomatic channels biennial plans of concrete undertakings of Cultural and Educational exchanges and negotiations for the purpose shall take place alternately in the countries of the Contracting Parties.

ARTICLE XII

The Contracting Parties, taking into consideration the great importance of tourism for the acquaintance with the life, creative works and culture of their peoples, shall encourage journeys for tourists and render them any reasonable assistance.

ARTICLE XIII

Financial matters connected with the implementation of the present Agreement shall be regulated on mutual basis.

ARTICLE XIV

The Contracting Parties shall use their best endeavours to settle any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement through diplomatic channels.

ARTICLE XV

1. The present Agreement shall come into force on the date of exchange of notes signifying that it has been approved in accordance with the constitutional procedure of the Contracting Parties and shall remain valid for four years.

2. The provisions of this Agreement shall continue to be applied after its expiry or termination to any existing Contract or arrangement concluded under this Agreement.

3. Thereafter, its validity shall be automatically renewed for a period of one year by tacit Agreement unless six months notice in writing to terminate it is given by one of the Contracting Parties to the other.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorised representatives of the Contracting Parties have signed the present Agreement.

Done at Lagos this 14th day of September, 1982, in two originals, one each in Hindi and English languages, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

S. Kaul

(SHEILA KAUL)
Minister of State for
Education, Culture and
Social Welfare

FOR THE GOVERNMENT OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

S. A. Ogedengbe
(S.A. OGEDENGBE)

Nigerian Federal Minister of
Social Development, Youth,
Sports and Culture